न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 17/2018 ::

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

हरीराम पुत्र बंशीलाल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवाल का बास मण्डली, तहसील पाली, जिला पाली

1. अशोक पुत्र राजाराम
2. भंवरीदेवी पत्नी राजाराज
3. चुन्नीयां पुत्र नारायण
4. देवाराम पुत्र गोरखा
5. हंसाराम पुत्र गोरखा
6. हरीराम पुत्र गोरखा
7. जतनी बेवा गोरखा
8. आशाराम पुत्र स्वरूपा
9. चेनी पत्नी बंशीलाल
10. उमा पुत्री बंशीलाल
11. कुसुम पुत्री बंशीलाल (रेस्पोडेण्ट संख्या 07 व 08 नाबालिग जरिये कुदरती वलीयां माता चेनीदेवी पत्नी बंशीलाल), जाति मेघवाल(भांबी), निवासीगण मण्डली खुर्द तहसील पाली, जिला पाली
12. तहसीलदार (भूमिधारी)पाली, तहसील पाली, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव
रेस्पोडेण्टगण की ओर से कोई उपस्थित नही

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :—11.02.2020

अपील अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1319 दिनांक 13.07.2009 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर मूल नामान्तरकरण तहसील पाली से तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता स्व बंशीलाल का देहान्त दिनांक 30.11.2007 को होने के पश्चात उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 465 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 722 रकबा 13.19 बीघा व खसरा नम्बर 389/2/3 रकबा 0.09 बीघा ग्राम मण्डली खुर्द प0ह0 मण्डली खुर्द तहसील पाली का नामान्तरकरण संख्या 1319 भरा जाकर दिनांक 13.07.2009 को नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया जो स्वं बशीलाल के वारिसान की जाचं किए बिना तथा उनको बिना नोटिस देकर सुनवाई किए बिना ही भरकर स्वीकृत कर दिया जिससे अपीलाण्ट का नाम हरिराम के स्थापर पर मन मर्जी से हरीश अंकित कर दिया जो विधी

जिला कलेक्टर, पाली

विरूद्व बिना आधार के दर्ज कर दिये जाने से नामान्तरकरण निरस्त योग्य है, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनो की ताईद में अपीलाण्ट के नाम का आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स पैन कार्ड, स्कूल का प्रगति पत्र इत्यादि की फोटो प्रति एंव अपनी माता चैना देवी के साथ ही अन्य सदस्यों के साथ बने राशन कार्ड की फोटो प्रति भी पेश की जिसमें अपीलाण्ट का नाम बतौर स्व. बंशीलाल के पुत्र के रूप में हरीराम दर्ज होना स्पष्ट है, लेकिन प0ह0 मण्डली खुर्द द्वारा अपनी मन मर्जी से बिना नोटिस दिए, बिना सुने ही नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग पर सजरा बनाकर अपीलाण्ट का नाम हरीराम के स्थान पर हरीश अंकित कर दिया जो कतई सही नही होने से नामान्तरकरण खारिज योग्य होने से जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त कराकर सही नाम अंकित कराने के आदेश जारी करने हेतु इस्तदुआ की है, अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 16.02.2018 को नकलें लेकर बैंक में जाने पर बैंक अधिकारियों ने बताया कि अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में हरीराम नही है हरीश है तो उसे प्रथम बार ज्ञात हुआ तथा दिनांक 12.02.2018 को नकलें प्राप्त होने पर दिनांक 20.03.2018 को अपील प्रस्तुत कर दी इसलिए जानकारी से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावे। रेस्पोडेण्टगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से एक तरफा बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलाण्ट को सर्व प्रथम जानकारी कृषि कार्य हेतु लोन की आश्यकता होने पर राजस्व दस्तावेजों की नकलें बैंक में लेकर जाने पर बैंक अधिकारियों द्वारा बताने पर दिनांक 16.02.2018 को हुई तब यह अपील नकले प्राप्त कर दिनांक 20.03.2018 को पेश की गई। प्रार्थी कम पढ़ा लिखा होने व जानकारी का अभाव होने से नरम रूख रखते हुए अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड, वाहन चालक अनुज्ञा पत्र, परिवार के साथ राशन कार्ड में व विद्यालय प्रगति पत्र में हरीराम पुत्र बंशीलाल अंकित है जबकि पटवारी हल्का मण्डली खुर्द द्वारा नामान्तरकरण भरते समय हरीश लिख दिया जो सही नही है, एवं नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत भी कर दिया जो विधि सम्मत व सही नही होने से खारिज योग्य है। पटवारी हल्का मण्डली खुर्द द्वारा अपनी मन मर्जी से नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग पर वंश वृक्ष दर्ज कर अपीलाण्ट का नाम हरीराम के स्थान पर हरीश पुत्र स्व श्री बंशीलाल दर्ज कर दिया जो आधारहीन है इस से स्पष्ट है कि बंशीलाल के विधिक वारिसान को बिना नोटिस दिए, बिना सुने बिना आधार के ही अपनी मन मर्जी से अपीलाण्ट का नाम हरीश अंकित किया गया जो विधि सम्मत नही होने से जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1319 दिनांक 13.07.2009 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है तथा इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. बंशीलाल के सभी विधिक वारिसान को नोटिस दिया जाकर बाद जांच एंव सुनवाई कर उनके सही नाम का राजस्व रेकार्ड मे अंकन करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया ।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली